

भूमि व्यवस्था एवं सुधार : कृषि जोत एवं चकबन्दी

[LAND TENURES AND REFORMS : AGRICULTURAL
HOLDING AND CONSOLIDATION]

भूमि व्यवस्था का अर्थ

भूमि व्यवस्था से अर्थ (i) भूमि के स्वामी, (ii) भूमि को जोतने वाले का भूमि के प्रति कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व तथा (iii) मालगुजारी देने के लिए राज्य से सम्बन्ध की व्याख्या से है। दूसरे शब्दों में, यह भी कह सकते हैं कि भूमि पर स्थायी मालिकाना हक किस व्यक्ति का है? उस पर खेती वास्तव में कौन करता है? तथा उस भूमि पर लगान निर्धारित करने की रीति क्या है? यह तीनों बातें मिलकर भूमि व्यवस्था को बताती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि व्यवस्था से अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अनुसार भूमि का स्वामित्व, अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये जाते हैं।

एक आदर्श भूमि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह गुण हों—(1) भूमि में जोतने वाले का स्वामित्व होना चाहिए। (2) लगान उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए। (3) भूमि के हस्तान्तरण की स्वतन्त्र व्यवस्था होनी चाहिए। (4) जोतों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

भूमि सुधार का अर्थ एवं उद्देश्य

भूमि सुधार (Land Reforms) का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है : संकुचित व विस्तृत। संकुचित अर्थ में, "भूमि सुधार से अर्थ छोटे कृषक एवं कृषि श्रमिकों के लाभ के लिए भूमि स्वामित्व के पुनः वितरण से है।" लेकिन विस्तृत अर्थ में, "भूमि सुधार से अर्थ किसी संगठन या भूमि व्यवस्था (Land tenures) की संस्थागत व्यवस्था में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से है।" इस प्रकार भूमि सुधार में समस्त कार्य शामिल कर लिये जाते हैं जिनका सम्बन्ध भूमि स्वामित्व (Land Ownership) एवं भूमि जोत (Land holding) दोनों में होने वाले सुधारों से है। इसमें लगान कानून, लगान निर्धारण एवं उनकी वसूलयावी, मध्यस्थों का उन्मूलन, जोतों की सुरक्षा, अधिकतम व न्यूनतम भूमि सीमा निर्धारण, सहकारी खेती, चकबन्दी, आदि सभी शामिल हैं। भूमि सुधार निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है :

- (1) उत्पादन में वृद्धि—भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। यह उत्पादन वृद्धि सहकारी खेती, चकबन्दी, गहन खेती, आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- (2) सामाजिक न्याय—भूमि सुधार का दूसरा उद्देश्य सामाजिक न्याय है जिससे कि भूमिहीनों एवं वास्तविक काश्तकारों को भूमि मिल सके तथा आय में समानता लायी जा सके।
- (3) राजनीतिक उद्देश्य—भूमि सुधार का तीसरा उद्देश्य राजनीतिक है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण जन समूह को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार की योजनाएँ बनायी जाती हैं और कार्यरूप में परिणत की जाती हैं।

भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता या महत्व या भूमिका

भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता या महत्व को दर्शाने के लिए निम्न विचार व्यक्त कर सकते हैं :

- (1) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए—स्वतन्त्रता के समय एवं उसके पश्चात् भारत में कृषि पदार्थों की बड़ी कमी थी। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किये जायें।
- (2) नियोजित विकास के लिए—देश में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि भूमि सुधार किये जायें।
- (3) सामाजिक न्याय एवं समानता के लिए—स्वतन्त्रता के पश्चात् सामाजिक न्याय दिलाने के लिए यह उचित समझा गया कि आधिक्य भूमि को

भूमिनों में वितरित कर दिया जाय। (4) गैर-कृषि उद्योगों के विकास के लिए—भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता इस कारण भी पड़ी कि उद्योगों के विकास के लिए धन एवं कच्चा माल कृषि से ही मिल सकता है।

भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल देते हुए डॉ. स्याकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक '*Land Problems in India*' में लिखा था कि "वैधानिक कृषि तथा सहकारिता को हम कितना ही अपना लें, पूर्ण सफलता हमें अब तक नहीं मिलेगी जब तक कि हम भूमि व्यवस्था में वांछित सुधार नहीं कर दें।" प्रो. सम्युलसन (Samuelson) के अनुसार, "सफल भूमि सुधार के कार्यक्रमों ने अनेक देशों में (साहित्यिक भाषा में) मिट्टी को लो में बरत दिया है।"